न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(सुखराम खोखर, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या:– 66/2013

प्रविष्टि दिनांक:– 11.12.2013

मोतीदास पि0मु0 श्रवणदास जाति दादूपंथी निवासी तून्देडा तहसील मालपुरा जिला टोंक
.... अपीलाण्ट

बनाम

1–तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक राज0
2–आशा बेवा श्रवणदास दादूपंथी निवासी तून्देडा तहसील मालपुरा जिला टोंक
3–मधु पुत्री श्रवणदास दादूपंथी निवासी तून्देडा तहसील मालपुरा जिला टोंक
4–राजू पुत्री श्रवणदास दादूपंथी निवासी तून्देडा तहसील मालपुरा जिला टोंक
5–फूलकंवर उर्फ किरण पुत्री श्रवणदास दादूपंथी पत्नि बबूलदास जाति दादूपंथी निवासी तून्देडा तहसील मालपुरा जिला टोंक

.... रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 517 दिनांक 04.02.2009 तहसीलदार मालपुरा

उपस्थितः (1) श्री सेतराम चौधरी, अभिभाषक अपीलाण्ट

दिनांक 19.12.2019

निर्णय

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार मालपुरा द्वारा नामान्तकरण संख्या 517 दिनांक 04.02.2009 को ख़ारिज कर पटवारी हल्का को निर्देशित किया जाता है कि मृतक के सही वारीसानो की जांच कर नामान्तकरण की कार्यवाही किये जाने के आदेश से अपीलांट व्यथित होकर उक्त आदेश को विधि विधान एंव तथ्यो के प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की हैं

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्टस जरिये सम्मन की गई। मूल नामान्तकरण तलब किया गया। प्रकरण मे रेस्पो. संख्या 2 ता.5 की एक तरफा कार्यवाही कर प्रकरण मे अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार मालपुरा ने अपीलांट को मृतक श्रवणदास का पि0मु0(गोदपुत्र) न मानकर कानूनी भूल की है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया है। तहसीलदार मालपुरा ने नामान्तकरण संबंधी नियमो की अनदेखी कर नामान्तकरण खारिज किया है। अतः तहसीलदार मालपुरा का आदेश दिनांक 04.02.2009 निरस्त कर रेस्पो. संख्या 2 ता. 5 के साथ अपीलांट का नाम व हिस्सा बराबर कर तस्दीक कराये जाने का आदेश प्रदान करे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांटा की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्ययन किया। विरासत का नामान्तकरण संख्या 517 दिनांक 04.02.2009 वाके ग्राम तुन्देडा तहसील मालपुरा श्रवणदास पुत्र रामधनदास कोम दादूपंथी के फोत होने पर मोती पि.मु. श्रवणदास कोम दादूपंथी निवासी तूंदेडा तहसीलदार मालपुरा द्वारा यह नोट अंकित करते हुये खारिज किया गया है कि ''नामान्तकरण प्रस्तुत करने पर पाया गया कि मोती को गोद रखने का साक्ष्य गोद पत्र लिखित मे नही है तथा ग्राम मे जांच के दौरान भी लिखित गोदनामा नही प्रस्तुत किया जाकर पटवारी को निर्देशित किया जाता है कि मृतक के सही वारीसान की जांच कर नामान्तकरण की कार्यवाही करे''अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि अपीलांट के पास गोदनामा था फिर भी तहसीलदार मालपुरा ने विवादित नामान्तकरण को नामान्तकरण नियमो के विपरीत जाकर खारिज किया गया है जो गलत है। उक्त सभी तथ्यों से हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि मृतक रामधनदास का विरासत का नामान्तकरण की कार्यवाही राज0लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 135 (2) के तहत तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी कर विधिवत प्रक्रिया अपनाकर प्रकरण का निस्तारण करना चाहिए था जो तहसीलदार द्वारा नही किया गया। अतः उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 517 दिनांक 04.02.2009 वाके ग्राम तुन्देडा पर तहसीलदार मालपुरा द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर तहसीलदार मालपुरा को आदेश दिया जाता है कि उक्त विरासत नामान्तकरण प्रकरण को राज0लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 135 (2) के तहत दर्ज कर विधिवत जांच कर वास्तविक वारिसान के नाम भरे जाने हेतु रिमाण्ड किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.01.20 13:23:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: